# न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना

बी- 74/2008

## (जिला शस्त्र शाखा)

## -: आदेश :-

11-04-2013 शस्त्र अपील वाद संख्या-279/2008 में आवेदक **श्री अमित कुमार अग्रवाल,** पिता-श्री मोहन लाल अग्रवाल, सा0-82, केसरी अपार्टमेंट, बन्दर बगीचा, पो0-जी0पी0ओ0, थाना-कोतवाली, जिला- पटना के नाम एक एन0पी0बोर रिवाल्वर हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-9-915/2007 में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय (शस्त्र अपील) वाद संख्या-279/2008 में दिनांक-10.01.2012 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु यह वाद प्रारम्भ किया गया।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि सिमेंट का व्यवसाय करते हैं तथा सिमेंट का सी0एन0एफ0 है। आवेदक द्वारा बताया गया कि बिहार के पाँच जिलों में उनका कार्यालय है तथा झारखण्ड राज्य में भी कार्यालय है। व्यवसाय अन्तर्गत लगभग 20 करोड़ रूपये का टर्नओवर है, तथा वार्षिक आय 40 लाख रूपये है। अक्सर अधिक नकद राशि लेकर सड़क मार्ग से यात्रा करना पड़ता है, तथा इस कारण हमेशा भय की स्थिति बनी रहती है। आवेदक द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक-282/गो0, दिनांक-11.02.2008 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर0 रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित/अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, कोतवाली द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ट्रांसपोर्टिंग एवं सिमेंट का सरकारी सप्लायर हैं। आवेदक के सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति अग्रसारित किया गया। साथ हीं पुलिस उपाधीक्षक, विधि व्यवस्था, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, कोतवाली के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित/अनुशंसित किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/आशंका है।

N. Saravana Kumar 11/4/13

(41)                                                            D - 74/2008

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–**V-11016/16/2009,** शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश एवं आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों– के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री अमित कुमार अग्रवाल,** पिता–श्री मोहन लाल अग्रवाल, सा0–82, केसरी अपार्टमेंट, बन्दर बगीचा, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री अग्रवाल को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

**शस्त्र अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।**

**लेखापित एवं संशोधित।**

Narayanakumar 11/5/10
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

Narayanakumar 11/5/10
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।